"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अप्रैल 2006—चैत्र 23, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (32).—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन 2005) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसके रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/3/2001/वाक/पांच/(9) दिनांक 01-05-2001, एफ-10/3/2001/वाक/पांच (35) दिनांक 19-07-2001 तथा एफ-10/[illegible]/2005/वाक/पांच (3) दिनांक 29-01-2005, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट स्थानों पर, 1 अप्रैल, 2006 से जांच चौकी या नाका स्थापित करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जांच चौकी या नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन (2)	जांच चौकी या नाका की स्थिति (3)
1.	बम्बई कलकत्ता मार्ग पर राजनांदगांव जिले में पाटेकोहरा (रामपुर) में छत्तीसगढ़ के भीतर आने वाले वाहन (इनकमिंग) एवं बम्बई की ओर से कलकत्ता जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जांच हेतु जांच चौकी.	राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक-6 नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 40वें और 41वें किलोमीटर के मध्य.

(1)	(2)	(3)
2.	बम्बई कलकत्ता मार्ग पर राजनांदगांव जिले के ग्राम चिचोला में छत्तीसगढ़ राज्य से नागपुर की ओर जाने वाले माल वाहन (आउट गोविंग) एवं कलकत्ता की ओर से बम्बई जाने वाले माल के वाहनों (आउट टू आउट) से संबंधित जांच हेतु जांच चौकी.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 38वें और 39वें किलोमीटर के मध्य.
3.	महासमुंद जिले में रायपुर, संबलपुर मार्ग पर सरायपाली (भगतदेवरी)	रायपुर संबलपुर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक-6) में रायपुर से 123वें एवं 124वें किलोमीटर के बीच.
4.	कबीरधाम जिले में राजनांदगांव-जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर ग्राम पौंडी.	राजमार्ग क्रमांक 9 राजनांदगांव-जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर राजनांदगांव से 136वें एवं 137वें किलोमीटर के मध्य.
5.	सरगुजा जिले में अम्बिकापुर वाराणसी मार्ग पर वाड्रफनगर	वाड्रफनगर में अम्बिकापुर-वाराणसी मार्ग पर अम्बिकापुर से 94वें एवं 95वें किलोमीटर के मध्य.
6.	जशपुर रॉची मार्ग पर जशपुर जिले में लोदाम शंख	जशपुर रॉची मार्ग पर जशपुर से 27वें एवं 28वें किलोमीटर के मध्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (32), दिनांक 13-4 2006 का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/39/2006/CT/V (32).— Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do, with a view to prevent or check evasion of tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No. 2 of 2005).

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the said act and in supersession of this department's Notification No. F-10/3/2001/CT/V (9) dated 01-05-2001, F-10/3/2001/CT/V (35) dated 19-07-2001 and F-10/2/2005/CT/V (3) dated 29-01-2005 the State Government hereby sets up check posts or barriers at the places specified in the schedule below from 1st April, 2006 :-

S. No. (1)	Name and description of places of check post or barriers (2)	Location of check posts or barriers (3)
1.	Patekohara (Rampur) Check post on Bombay-Calcutta road in Rajnandgaon District to check the incoming goods vehicle and incoming (out to out) vehicle towards Calcutta.	Between 40th and 41st K. M. from Rajnandgaon on Raipur - Nagpur Road National Highway No. 6.
2.	Village Chichola Check Post on Bombay-Calcutta Road in Rajnandgaon District to check the out going goods vehicle and out going (out to out) vehicle towards Bombay.	Between 38th and 39th K. M. from Rajnandgaon on Raipur - Nagpur Road National Highway No. 6.
3.	Saraipali (Bhagat-Deori) on Raipur Sambalpur Road, in Mahasamund District.	Between 123th and 124th K. M. from Raipur on Raipur Sambalpur Road National Highway No. 6.
4.	Village Poundy on Rajnandgaon - Jabalpur (Via-Kawardha) Road in Kabirdham District.	Between 136th and 137th K. M. from Rajnandgaon - Jabalpur (Via - Kawardha) Road, State Highway No. 9.
5.	Wadraf Nagar on Ambikapur Varanasi Road in Surguja District.	Wadraf Nagar on Ambikapur Varanasi Road between 94th and 95th K. M. from Ambikapur.
6.	Lodam (Shankh) on Jaspur Ranchi Road, in Jaspur District.	Between 27th and 28th K. M. from Jaspur on Jaspur Ranchi Road.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (33).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 58 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10/3/2001/वाक/पांच (10) दिनांक 01-05-2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं को अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (33), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/39/2006/CT/V (33).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), and in supersession of this department's notification No. F/10/3/2001/CT/V (10), dated 01-05-2001, the State Government hereby, notifies all the goods specified in Schedule I and Schedule II of the said Act for the purpose of said sub-section.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2006/वाक/पांच (34).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 14 अप्रैल, 2006 से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	घरेलू उपयोग हेतु तरीलीकृत पेट्रोलियम गैस	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/40/2006/वाक/पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2006/वाक/पांच (34), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/40/2006/CT/V (34).— In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below-from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) with effect from 14th April, 2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Liquefied petroleum gas for domestic use	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/41/2006/वाक/पांच (35).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 के अनुक्रमांक 42 एवं 66 पर विनिर्दिष्ट माल को विलोपित करती है तथा निम्नलिखित माल को 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 के पश्चात् जोड़ती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	विवरण (2)	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत) (3)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत) (4)
6.	औषध तथा औषधि सहित औषधि लाईसेंस की अधीन उत्पादित वेक्सीन, सिरींज और ड्रेसिंग मेडिकल ओइंटमेंट.		4

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल		4

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/41/2006/वाक/पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/41/2006/वाक/पांच (35), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/41/2006/CT/V (35).— In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby deletes the goods specified at S. No. 42 and 66 of part II of Schedule-II of the the said act and adds the following goods after S.No. 5 of Part III of Schedule-II of the said act with effect from 1st April, 2006 :—

SCHEDULE

S. No.	Description	Rate of tax u/s. 8 (i) (percent)	Rate of tax u/s. 8 (ii) (percent)
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Drugs and medicines including vaccine, syringes and dressings .medicated ointments produced under drug license.		4
7.	Kerosense oil sold through PDS		4

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (36).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	मिठाईयां और नमकीन	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
2.	घी	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (36), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/42/2006/CT/V (36).— In exercise of the powers conferred by section [illegible] of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods [illegible] in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) from the date of publication in official gazette :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Sweets and namkeen	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent
2.	Ghee	Partly so as to reduce the rate of tax to 4 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (37).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, और

(ख) उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट करता है

(2) यह निर्देश देती है कि उस तारीख से जो कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, वह प्रवेश कर जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, उक्त माल से संबंधित उसकी कराध्येय मात्रा पर, कालम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई दर से प्रभारित किया जाएगा.

अनुसूची

अ. क्र. (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	तारीख (4)	कर की दर (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	11 के वी से 33 के वी तक के ए. बी. स्वीचेस, 11 के वी से 33 के वी तक के ड्राप आऊट फ्यूज युनिट, 11 के वी से 400 के वी तक के आईसोलेटर्स, 11 के वी से 145 के वी तक के एच. जी. फ्यूजेस, सभी रेटिंग्स के इन्सुलेटर फिटिंग्स तथा पी. सी. सी. पोल, यदि इन वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अन्तर्गत कर न लगा हो.	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से	10%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (37), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/42/2006/CT/V (37).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby :—

(1) specify-

(a) Local areas mentioned in column (2) of the schedule below, and

(b) The goods mentioned in column (3) of the said schedule

(2) directs that as from the date specified in column (4) of the said schedule, the Entry Tax payable by a dealer under this Act, shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods, at the rate specified in the corresponding entry in column (5) :

SCHEDULE

S. No. (1)	Local Area (2)	Goods (3)	Date (4)	Rate of Tax (5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh.	A. B. Switches of 11 KV to 33 KV, Drop out fuse units of 11 KV, to 33 KV, Isolators 11 KV to 400 KV, H. G. fuses 11 KV to 145 KV, Disc insulator fittings of all ratings and P. C. C. Poles, if such goods have not borne tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).	from the date of publication in official gazette.	10%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (38).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 8 के उपनियम (10) में शब्दों "तथा पके अन्न (कुकड फुड)" के पश्चात् शब्दों "जिसमें मिठाईयां और नमकीन शामिल नहीं है" तथा शब्दों "आठ प्रतिशत की दर से" के पश्चात् शब्दों "तथा मिठाईयां और नमकीन की विक्रय राशि पर चार प्रतिशत की दर से" अंत:-स्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2006 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (38), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/42/2006/CT/V (38).— In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rules, in sub-rule (10) of rule 8, after the words "turnover of cooked food" the words and figure "excluding sweets and namkeen, and 4 percent of his turnover of sweets and namkeen" shall be inserted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (39).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1.	सायकल के टायर एवं ट्यूब	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/42/2006/वाक/पांच (39), दिनांक 13-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/42/2006/CT/V (39).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) from the date of publication in official gazette subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tyre and tube of cycle	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured in Chhattisgarh state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.